

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), सिरोही

क्रमांक: Relle/fllighting/2021/754

दिनांक: 28/09/2021

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/SIR/0003120

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंखा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/SIRO/2021/00757 5	नाम: ओखा रामपिता का नाम: धीरारामजिला: सिरोही	अमरापुरा, मेघवाल वास अमरापुरा रायपुर, रेवदर, पंचायत समिति रेवदर, ग्राम पंचायत -रायपुर, गाँव - अमरापुरा	15/07/2021	आकाशीय बिजली	दिनांक 15-7-2021 को श्री ओखाराम पुत्र धीराराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रेवदर के कृषि करे पर आकाशीय बिजली गिरने एक दुधार भैंस की मृत होने से एसडीआरफ नोम्स दिनांक 8-4-2015 के बिंदु संख्या 6(i) के प्रावधानानुसार 30 हजार रुपये सहायता राशि स्वीकृत की गई	300000
योग							300000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-1021-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सिरोही

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि - निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, सिसोही।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सिसोही।
7. शेकडंपाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सिसोही